श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, सारण की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2015 को आयोजित राजस्व एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी में संधारित है।

1. **<u>भू–लगान</u>** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भू–लगान की वसुली सबसे अधिक 13% तरैया को छोड़कर किसी भी अंचल द्वारा वसुली नहीं किया गया हैं। अंचल दिघवारा, सोनपुर एवं मांझी द्वारा सबसे कम 1% प्रतिशत की वसूली हुई है, जिस पर पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी, दिघवारा एवं सोनपुर द्वारा बताया गया कि अधिकांश मौजा की भूमि असर्वेक्षित होने के कारण वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं।

समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारी को वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अभी से ही भू–लगान की वसूली पर विशेष ध्यान देने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही सभी अंचल के वरीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा नियमित समीक्षा करते रहने का निदेश समाहर्त्ता द्वारा दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/ वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सारण जिला।

2. **<u>सैरात</u>** :– समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कुल 217 सैरातों में से 133 सैरातों की बंदोबस्ती हुई है, जिसमें सबसे अधिक मांझी में 20 बनियापुर में 11 एकमा में 9 लहलादपुर में 5 मशरक में 7 दिघवारा में 9 सोनपुर में 7 लंबित है। लंबित सैरातों के संबंध में पृच्छा की गयी पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि कुछ सैरातों का सुरक्षित जमा राशि अधिक होने के कारण बंदोबस्ती नही हा पायी है, जिसकी विभागीय वसूली हो रही है। समाहर्त्ता द्वारा लंबित सैरातों के बंदोबस्ती करने तथा जिन सैरातों की विभागीय वसूली हो रही है उक्त सैरातों की वसूली में गति लाने हेतु अंचल अधिकारी को दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

3. **<u>अतिक्रमण</u>** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक भूमि अतिक्रमण से संबंधित कुल 20 वाद लम्बित है, जिसमें सबसे अधिक अमनौर में– 5, मांझी में– 4, बनियापुर, नगरा, गरखा में–1 एवं सोनपुर में–3 दिघवारा में– 2 वाद लंबित पाये गये हैं। समाहर्त्ता द्वारा अंचल अधिकारी, अमनौर एवं दिघवारा से पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि लंबित सभी वादों में नोटिस दी गयी हैं। समाहर्त्ता द्वारा इस माह के अंत तक सभी लंबित वादों को निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

4. **<u>लैण्ड बैंक</u>** :– समाहर्त्ता द्वारा लैण्ड बैंक हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन संबंधी प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी. समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला से भेजे गये सभी प्रस्ताव को विभाग द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु वापस किया गया हैं, जिसे सभी संबंधित अंचल को भेज दिया गया हैं। जिसमे से अंचल इसुआपुर से मात्र प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

समाहर्त्ता द्वारा लैण्ड बैंक का प्रस्ताव अंचल से प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अविलम्ब प्रस्ताव/अधियाचना नई भू–अर्जन नीति के तहत देने हेतु सभी अंचल अधिकारी एव भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सारण जिला।

5. **<u>चालू खतियान</u>** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 1805 मौजा में मात्र 837 ग्रामों का कार्य पूर्ण हुआ है और 203 ग्रामों में कार्य चल रहा हैं। इस प्रकार कुल 1040 ग्रामों का ही चालू खतियान का कार्य हुआ है। इस कार्यों की प्रगति पर समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारी से कार्य अविलम्ब पूर्ण करने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी वरीय पदाधिकारी को नियमित अंचल के कार्यों का समीक्षा करते रहने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/ सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी वरीय पदाधिकारी, सारण जिला।

6. **<u>बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009</u>** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में कुल 74 दायर वाद के विरूद्ध 60 वाद निष्पादित किये गये है, जिसके अनुसार निष्पादन का 81.08 प्रतिशत है। उप समहार्त्ता भूमि सुधार, सोनपुर का 03 लंबित मामले एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर छपरा द्वारा 07 एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मढ़ौरा का 03 लंबित पाये गये। पृच्छा के क्रम में उप समहार्त्ता भूमि सुधार, सदर, सोनपुर एवं मढ़ौरा द्वारा बताया गया कि संबंधित वाद समय सीमा के अंदर का है, जिसे शीघ्र समाप्त कर दी जायेगी। समाहर्त्ता द्वारा ससमय निष्पादन करने का निदेश भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को दिया गया।

अनुपालन– सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सारण।

7. **<u>दाखिल खारिज</u>** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 11336 प्राप्त वाद के विरूद्ध मात्र 10181 वादो का निष्पादन किया गया है। लंबित मामले 1155 है, जिसमें सबसे अधिक 278 मामले बनियापुर, 87 जलालपुर एवं मकेर रिविलगंज में 70 लंबित पाया गया, जिस पर समाहर्त्ता द्वारा अधिक लंबित रहने के कारण पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त सभी मामले समय सीमा के अंदर का है। समाहर्त्ता द्वारा सभी लंबित मामले को ससमय निष्पादन करने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

8. **<u>जनशिकायत और अन्य लोगो से प्राप्त</u>** :– जनता के दरबार में 'मुख्यमंत्री', 'आयुक्त' एवं जिला पदाधिकारी से प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की समीक्षा के क्रम में काफी संख्या में मामले लंबित पाये गये। सभी अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर जनतादरबार के सभी प्रकार के मामले को शीघ्र निष्पादन करा दी जाय।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सारण जिला।

9. **भू–हस्तांतरण** :– विभिन्न प्रयोजनों हेतु अन्तर्विभागीय भू–हस्तांतरण से संबंधित समीक्षा की गई। आंगनबाड़ी केन्द्र, नवसृजित प्रा0वि0, महादलित टोलो में सामुदायिक निर्माण हेतु लक्ष्य के अनुरूप भू–हस्तांतरण भूमि का चयन नही हुआ है। समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि विभिन्न प्रयोजनाओं हेतु चिन्हित भूमि का प्रस्ताव तैयार कर अविलम्ब भेजा जाय ताकि विभिन्न योजनाओं हेतु राज्यस्तरीय संबंधित विभाग से अधियाचना प्राप्त होते ही संबंधित विभाग को भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई किया जा सकें।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

10. **महादलित** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला में कुल 616 वासहीन महादलित परिवार पाये गये थे। जिसमें वास हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी हैं। समाहर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सभी परिवारों को भूमि पर दखल कब्जा दिलाने हेतु सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

11. **अभियान बसेरा** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभियान बसेरा के तहत अंचलवार निम्नांकित श्रेणी के परिवार वासहिन पाये गये हैं। जिसको वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु भूमि चिन्हित की गई हैं :–

क्र0	अंचल का नाम	श्रेणीवार सर्वेक्षण						उपलब्ध कराये जाने वाले भूमि का श्रोत				वास हेतु भूमि उपलब्ध कराये गए परिवारो की सं0				कुल भूमि उपलब्ध कराये गये वासहीन परिवारो की सं0	लंबित परिवारों की सं0	अभि0
		महादलित	SC	ST	BC-I	BC-II	कुल सर्वेक्षित वासहीन परिवारों की सं0	गैरमजरूआ मालिक	गैरमजरूआ आम	BPPHT	क्रय	गैरमजरूआ मालिक	गैरमजरूआ आम	BPPHT	क्रय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							21
1	सदर,छपरा	84					84	14	0	70	0							
2	रिविलगंज	24			16		40	0	0	40	0			38		38	2	
3	मॉझी	16					16	16	0	0	0					0	16	
4	एकमा	8					8	8	0	0	0	8				8	0	
5	जलालपुर	5					5	5	0	0	0	5				5	0	
6	नगरा		3				3	0	0	3	0			3		3	0	
7	बनियापुर	2	6		7	4	19	13	0	6	0	13				13	6	
8	लहलादपुर	8		6	2		16	8	0	8	0	2		8		10	6	
9	गड़खा		11			7	18	9	9	0	0	18				18	0	
10	परसा	5	3		10		18	9	9	0	0	9				9	9	
11	मकेर	9			2		11	2	0	9	0	3		3		6	5	
12	मढ़ौरा	65					65	0	0	0	65					0	65	
13	अमनौर	13	2	0	4		19	19	0	0	0			16		16	3	
14	तरैया	30			1		31	31	0	0	0			25		25	6	
15	इसुआपुर	7					7	7	0	0	0	7				7	0	
16	मशरक	40			7		47	6	0	33	8			33		33	14	
17	पानापुर	6	3	0	1		10	0	0	10	0					0	10	
18	दिघवारा	0			11	4	15	0	2	13	0					0	15	
19	दरियापुर	47			5		52	28	7	17	0			17		17	35	
20	सोनपुर	23	2		13		38	0	0	10	0			19		19	19	
योग –		392	30	6	79	15	522	175	27	219	73	65		162	0	227	295	

समाहर्त्ता द्वारा सभी वासहीन परिवार को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया।

अनुपालन – सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

12. **ऑपरेशन भूमि दखल दहानी** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 12642 परिवारों से संबंधित प्रपत्र–। में अपलोड किया गया है, जिसमें 445 बेदखल परिवार पाये गये है। बेदखल परिवारो में से 358 परिवारो को दखल दिलाया गया है। शेष लंबित 97 बेदखल परिवारों को दखल सितम्बर माह के अंत तक कराने हेतु संबंधित सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया। साथ ही नियमित समीक्षा करने हेतु सभी वरीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी।

13. **शहरी लोक भूमि अतिक्रमण :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 86 मौजा में से मात्र 18 मौजा का ही सर्वेक्षण हो पाया हैं, जिसपर समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अविलम्ब सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने हेतु अंचल अधिकारी, सदर छपरा, रिविलगंज, एकमा, परसा, दरियापुर, मढौरा, सोनपुर एवं दिघवारा को निदेश दिया गया।

अनुपालन– अंचल अधिकारी, सदर छपरा, रिविलगंज, एकमा, परसा, दरियापुर, मढौरा, सोनपुर एवं दिघवारा।

14. **भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एल0पी0सी0 निर्गत करने हेतु कुल 3391 आवेदन के विरूद्ध मात्र 3358 मामले को निष्पादित किया गया है। शेष अभी भी 133 मामले लंबित हैं, जिसमें सबसे अधिक, मांझी में 30 मामले लंबित है। समाहर्त्ता द्वारा कारण पृच्छा की गयी पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी लंबित मामले समय सीमा के अंदर का है। समाहर्त्ता द्वारा सभी लंबित मामले को अविलम्ब निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी।

इसी के साथ सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ..../ दिनांक ....

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, सारण छपरा एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/–
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1170/ दिनांक 14/9/15

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करते हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।